

**\*\*महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर\*\***

**\*\*बी.ए. द्वितीय वर्ष (सेमेस्टर-IV) परीक्षा, जून-2025 (नियमित)\*\***

**\*\*विषय: पंचायत समिति का कार्य\*\***

**\*\*पूर्णांक: 70\*\***

**\*\*समय: 3 घंटे\*\***

**\*\*सामान्य निर्देश:\*\***

1. इस प्रश्न-पत्र के दो भाग हैं: भाग-अ और भाग-ब।
2. भाग-अ के सभी दस प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए।
3. भाग-ब में कुल दस प्रश्न हैं। किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
4. प्रत्येक इकाई से कम-से-कम एक प्रश्न का चयन करना अनिवार्य है।

**\*\*भाग-अ\*\***

**\*\*लघु उत्तरीय प्रश्न\*\***

**\*\*2 अंक x 10 प्रश्न = 20 अंक\*\***

**प्रश्न 1: पंचायत समिति क्या है?**

उत्तर: पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था की मध्यवर्ती इकाई है जो ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है। यह ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के बीच की कड़ी है तथा स्थानीय विकास कार्यों का समन्वय करती है।

**प्रश्न 2: पंचायत समिति के प्रमुख के दो कर्तव्य बताइए।**

उत्तर:

पहला कर्तव्य: समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना और कार्यवाही संचालित करना  
दूसरा कर्तव्य: समिति के विभिन्न विकास कार्यों की निगरानी और मार्गदर्शन करना

**प्रश्न 3: पंचायत समिति के गठन में महिलाओं के आरक्षण का क्या महत्व है?**

उत्तर: महिलाओं के आरक्षण से स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलता है और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बेहतर ध्यान दिया जा सकता है।

**प्रश्न 4: पंचायत समिति की आय के दो स्रोत बताइए।**

उत्तर:

पहला स्रोत: राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और हस्तांतरित निधियाँ  
दूसरा स्रोत: स्थानीय करों और फीसों से प्राप्त आय

**प्रश्न 5: पंचायत समिति और जिला परिषद में क्या अंतर है?**

उत्तर: पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है जबकि जिला परिषद जिला स्तर की संस्था है। पंचायत समिति ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के बीच समन्वय का कार्य करती है।

**प्रश्न 6: पंचायत समिति की सामान्य बैठक कितने समय अंतराल पर होती है?**

उत्तर: पंचायत समिति की सामान्य बैठक प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं।

**प्रश्न 7: पंचायत समिति के विकास कार्यों में से कोई दो बताइए।**

उत्तर:

पहला कार्य: कृषि विस्तार और सिंचाई सुविधाओं का विकास  
दूसरा कार्य: ग्रामीण सड़कों और पेयजल व्यवस्था का निर्माण एवं रखरखाव

प्रश्न 8: पंचायत समिति के सचिव की क्या भूमिका होती है?

उत्तर: सचिव पंचायत समिति के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं जो दैनिक कार्यों का संचालन, रिकॉर्ड रखरखाव और बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करने का कार्य करते हैं।

प्रश्न 9: पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की योग्यताएँ बताइए।

उत्तर: निर्वाचित सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। वह दिवालिया या अवैध रूप से सरकारी लाभ प्राप्त करने वाला न हो।

प्रश्न 10: पंचायत समिति की लेखा परीक्षा क्यों आवश्यक है?

उत्तर: लेखा परीक्षा से वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगती है, पारदर्शिता बढ़ती है और जनता के धन का सही उपयोग सुनिश्चित होता है। यह जवाबदेही स्थापित करने में सहायक होती है।

**\*\*भाग-ब\*\***

**\*\*दीर्घ उत्तरीय प्रश्न\*\***

**\*\*10 अंक x 5 प्रश्न = 50 अंक\*\***

**\*\*इकाई-1: पंचायत समिति का गठन और संगठन\*\***

प्रश्न 11: पंचायत समिति के गठन, सदस्यता और संगठनात्मक संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था की मध्यवर्ती इकाई है जो ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है। इसके गठन, सदस्यता और संगठनात्मक संरचना का विवरण इस प्रकार है:

गठन: पंचायत समिति का गठन राज्य पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। प्रत्येक ब्लॉक या तहसील स्तर पर एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है।

सदस्यता में तीन प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं: निर्वाचित सदस्य जो ब्लॉक के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं, पदेन सदस्य जिनमें संबंधित ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, ब्लॉक क्षेत्र के विधान सभा सदस्य और लोक सभा सदस्य शामिल होते हैं, तथा सह-सदस्य जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं।

आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है।

संगठनात्मक संरचना में अध्यक्ष या प्रमुख समिति का नेतृत्व करता है और बैठकों की अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष या उपप्रमुख अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता है। विभिन्न विभागों के लिए स्थायी समितियाँ गठित की जाती हैं। सचिव प्रशासनिक प्रमुख के रूप में दैनिक कार्यों का संचालन करता है और विभिन्न विकास विभागों के अधिकारी कार्यों के क्रियान्वयन में सहायता करते हैं।

यह संरचना पंचायत समिति को एक प्रभावी स्थानीय शासन संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती है और स्थानीय विकास को गति प्रदान करती है।

प्रश्न 12: पंचायत समिति की बैठकों और कार्यवाही से संबंधित प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन कीजिए।

उत्तर:

पंचायत समिति की बैठकों और कार्यवाही की प्रक्रिया निम्नलिखित बिन्दुओं पर आधारित है:

बैठकों के प्रकार में तीन प्रमुख प्रकार शामिल हैं: सामान्य बैठक जो प्रति तीन महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है, विशेष बैठक जो आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है, और अनिवार्य बैठक जो वार्षिक बजट और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए आयोजित की जाती है।

बैठक बुलाने की प्रक्रिया में अध्यक्ष द्वारा बैठक की तिथि निर्धारित की जाती है। कम से कम 7 दिन पूर्व नोटिस जारी किया जाता है जिसमें बैठक का समय, स्थान और कार्यसूची स्पष्ट रूप से शामिल होती है। यह नोटिस सभी सदस्यों तक पहुँचाना अनिवार्य होता है।

कार्यवाही संचालन में सबसे पहले गणपूर्ति की जाँच की जाती है जिसके लिए कुल सदस्यों के एक-तिहाई की उपस्थिति आवश्यक होती है। इसके बाद पूर्व निर्धारित कार्यसूची के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाती है। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और मतभेद की स्थिति में मतदान कराया जाता है। कार्यवृत्त तैयार करने की प्रक्रिया में सचिव द्वारा कार्यवृत्त तैयार किया जाता है जिसमें बैठक में हुए सभी महत्वपूर्ण चर्चाओं और निर्णयों को दर्ज किया जाता है। इस कार्यवृत्त को अगली बैठक में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और स्वीकृत होने के बाद इसे संरक्षित रखा जाता है। यह व्यवस्था पंचायत समिति के कार्यों को पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायक होती है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है।

**\*\*इकाई-2: पंचायत समिति के कार्य और भूमिका\*\***

प्रश्न 13: पंचायत समिति के विकासात्मक और प्रशासनिक कार्यों का विस्तृत विवेचन कीजिए।

उत्तर:

पंचायत समिति के विकासात्मक और प्रशासनिक कार्य निम्नलिखित हैं:

विकासात्मक कार्यों में कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में कृषि विस्तार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, बीज वितरण और कृषि उपकरणों की व्यवस्था, तथा सहकारी समितियों को प्रोत्साहन शामिल है। सिंचाई के क्षेत्र में छोटी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण और रखरखाव, जल संरक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन, स्कूल भवनों का निर्माण और मरम्मत, तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन, टीकाकरण अभियान, स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

सामाजिक कल्याण के कार्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण कार्यक्रम, महिला और बाल विकास कार्यक्रम, वृद्धावस्था पेंशन और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है।

प्रशासनिक कार्यों में वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत वार्षिक बजट तैयार करना, करों और फीसों का संग्रह, तथा खर्चों का लेखा-जोखा रखना सम्मिलित है। कर्मचारी प्रबंधन में समिति के कर्मचारियों की नियुक्ति, पर्यवेक्षण और उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है।

निगरानी और मूल्यांकन के कार्यों में ग्राम पंचायतों के कार्यों का पर्यवेक्षण, विकास कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा, तथा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। रिपोर्टिंग के अंतर्गत जिला परिषद और राज्य सरकार को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

ये सभी कार्य पंचायत समिति को एक प्रभावी स्थानीय विकास एजेंसी के रूप में स्थापित करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रश्न 14: पंचायत समिति की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का विस्तृत विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

पंचायत समिति की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली निम्नलिखित घटकों से मिलकर बनी है:

आय के स्रोतों में कराधान शक्तियाँ शामिल हैं जिनके अंतर्गत संपत्ति कर, व्यापार कर, मनोरंजन कर, पशु कर, जल कर और स्वच्छता कर वसूल किए जाते हैं। अकर आय में लाइसेंस शुल्क, विभिन्न सेवाओं के लिए फीस, दंड राशि, और समिति की संपत्ति से प्राप्त आय सम्मिलित होती है।

सरकारी अनुदान में राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विशेष अनुदान, तथा राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित निधियाँ शामिल हैं। ऋण और उधार के स्रोतों में वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना और राज्य सरकार से अग्रिम लेना सम्मिलित है।

बजट प्रक्रिया में सबसे पहले बजट तैयारी की जाती है जिसमें विभिन्न विभागों से अनुमान एकत्रित किए जाते हैं और आय तथा व्यय का विस्तृत अनुमान लगाया जाता है। बजट स्वीकृति के चरण में समिति की बैठक में बजट पर विस्तृत चर्चा की जाती है और सदस्यों द्वारा बजट का अनुमोदन किया जाता है।

बजट क्रियान्वयन में विभिन्न मदों में धनराशि का आवंटन किया जाता है, व्यय की पूर्व स्वीकृति प्रक्रिया पूरी की जाती है, और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में वित्तीय अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाता है।

वित्तीय नियंत्रण में लेखा व्यवस्था के अंतर्गत दोहरी लेखा पद्धति का प्रयोग किया जाता है और नियमित लेखा परीक्षा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण में व्यय की पूर्व स्वीकृति प्रणाली और वित्तीय नियमों का कठोरता से पालन

सुनिश्चित किया जाता है।

बाह्य नियंत्रण में राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा नियमित लेखा परीक्षा की जाती है और वित्तीय अनियमितताओं की जाँच की जाती है। यह पूरी प्रणाली पंचायत समिति के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता सुनिश्चित करती है।

### **\*\*इकाई-3: पंचायत समिति की चुनौतियाँ और सुधार\*\***

प्रश्न 15: पंचायत समिति के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का विस्तृत विवेचन कीजिए।

उत्तर:

पंचायत समिति के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

वित्तीय चुनौतियों में अपर्याप्त वित्तीय संसाधन प्रमुख समस्या है जिसमें कर संग्रहण दर का कम होना और सरकारी अनुदानों में अनियमितता शामिल है। वित्तीय निर्भरता की समस्या में राज्य सरकार पर अत्यधिक निर्भरता और स्वयं के संसाधनों का सीमित विकास मुख्य बाधाएँ हैं।

प्रशासनिक चुनौतियों में कर्मचारियों की कमी एक गंभीर समस्या है जिसमें तकनीकी कर्मचारियों का अभाव और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी शामिल है। अवसंरचनात्मक समस्याओं में कार्यालय भवनों का अभाव, आधुनिक उपकरणों की कमी, और तकनीकी सुविधाओं का अभाव प्रमुख हैं।

राजनीतिक चुनौतियों में राजनीतिक हस्तक्षेप एक बड़ी समस्या है जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के बीच तनाव, तथा राजनीतिक दबाव में कार्य करने की मजबूरी शामिल है। सत्ता के केन्द्रीकरण की समस्या में अध्यक्ष और सचिव के बीच शक्ति संघर्ष, और विकेन्द्रीकरण के अभाव की चुनौती प्रमुख है।

सामाजिक चुनौतियों में सामाजिक असमानता एक गहरी समस्या है जिसमें महिलाओं और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव, तथा सामाजिक रूढ़िवादिता की बाधाएँ शामिल हैं। जनभागीदारी की कमी की समस्या में आम जनता की उदासीनता और सामुदायिक भागीदारी के अभाव की चुनौती प्रमुख है।

तकनीकी चुनौतियों में तकनीकी ज्ञान का अभाव एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसमें आधुनिक प्रबंधन तकनीकों की जानकारी का अभाव और डिजिटल साक्षरता की कमी शामिल है। नियोजन और क्रियान्वयन की कमजोरियाँ, तथा निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली का अभाव भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।

इन सभी चुनौतियों के समाधान के लिए समग्र दृष्टिकोण, संस्थागत सुधार, और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने वाले उपायों की आवश्यकता है। वित्तीय स्वायत्तता, क्षमता निर्माण, और तकनीकी उन्नयन इन चुनौतियों से निपटने के प्रमुख आधार हो सकते हैं।

प्रश्न 16: पंचायत समिति की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव दीजिए।

उत्तर:

पंचायत समिति की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:

वित्तीय सुधारों में वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि के लिए अधिक कराधान शक्तियाँ प्रदान करना और स्थानीय संसाधनों का बेहतर दोहन करना आवश्यक है। वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का विस्तार, कम्प्यूटरीकृत लेखा व्यवस्था, और नियमित स्वतंत्र लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना चाहिए।

प्रशासनिक सुधारों में कर्मचारी विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, तकनीकी कौशल विकास पर जोर देने, और कार्य performance based incentives की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। तकनीकी उन्नयन के लिए कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, ई-गवर्नेंस सुविधाओं का विस्तार करना, और डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

संस्थागत सुधारों में क्षमता निर्माण के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, और exposure visits का आयोजन करना चाहिए। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक सूचना प्रणाली विकसित करना, सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार्य बनाना, और सभी निर्णयों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना आवश्यक है।

जनभागीदारी बढ़ाने के लिए नागरिक संवाद के माध्यम से नियमित जन सुनवाई आयोजित करना, सार्वजनिक बैठकों का आयोजन करना, और जनता की feedback प्रणाली विकसित करना महत्वपूर्ण है। सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना, गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाना, और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

नीतिगत सुधारों में स्पष्ट भूमिका और जिम्मेदारियाँ निर्धारित करने के लिए कार्य और शक्तियों का स्पष्ट

विभाजन करना, जवाबदेही तंत्र स्थापित करना, और performance indicators विकसित करना चाहिए। निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्रदर्शन मापदंड विकसित करने, नियमित समीक्षा और मूल्यांकन की व्यवस्था करने, और real-time monitoring system विकसित करने की आवश्यकता है।